संक्षिप्त समाचार

सीएए के तहत नागरिकता के लिए असम से अब तक कोई आवेदन नहीं मिला : मुख्यमंत्री हिमंत

गुवाहटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक भी आवेदन उनके राज्य से अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। होजई में एक कार्यक्रम से इतर सरमा ने कहा कि जिन लोगों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, उन्हें 2019 में राज्य में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम से एक भी व्यक्ति ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत आवेदन नहीं किया है, इसके विपरीत गुजरात में लोगों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है। सरमा ने कहा, यह जानने के लिए पोर्टल पर पूछताछ करें कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। असम से अभी तक एक भी आवेदन नहीं किया गया है। गुजरात में लोगों को (सीएए के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से) भारतीय नागरिकता मिल गई है। आवेदकों को सीएए के प्रावधानों के तहत नागरिकता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरमा ने सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अपने कृत्यों के लिए जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, इन पांच लोगों की जिंदगी के लिए अब कई लोगों को जवाब देना होगा। इस बीच, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) और 30 अन्य स्वदेशी, गैर-राजनीतिक समूहों सहित विभिन्न संगठनों ने विवादास्पद कानून के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएए के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखते हुए जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह किया। सीएए के विरोधी सोमवार को इसके लागू होने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि यह 1985 के असम समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद मिला न्याय, पुलिसवाले भी दोषी

रामपुर, एजेंसी। रामपुर तिराहा कांड में पीड़िता को न्याय के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। पीड़िता ने तीन दशक तक संघर्ष किया अब शुक्रवार को उसे इंसाफ मिला है। घटना के बाद पीड़ितों की मांग पर सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए थे, जांच के बाद सीबीआई ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी थी। रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों और पीएसी के जवानों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मार्च 2023 को सभी पुलिसकर्मी एडीजे-7 की कोर्ट में पेश हुए जिसके बाद सुनवाई में तेजी आई। इसके बाद पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी, अब लगभग 30 साल बाद पीड़िता को इंसाफ मिलने से अन्य मामलों में भी जल्द ही इंसाफ की उम्मीद जग गई है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने बताया कि रामपुर तिराहाकांड कांड में यूपी और उत्तराखंड में दर्ज 54 मुकदमों में लंबी विवेचना के बाद 30 मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मुजफ्फरनगर में सात मुकदमे चले, जबकि अन्य मुकदमे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, यूपी के मुरादाबाद में चले। चार मुकदमे मुजफ्फरनगर कोर्ट में विचाराधीन हैं। जबकि सरकार बनाम मोती सिंह मामला मौत के बाद अक्तूबर 2012 व सरकार बनाम राजेन्द्र सिंह के दो मामले की फाइल 6 जनवरी 2024 को बंद कर दी गई है। उनकी भी मौत हो चुकी है। देहरादून,मुख्य संवाददाता। अलग राज्य की मांग को लेकर दो अक्तूबर 1994 को दिल्ली कूच के दौरान रामपुर तिराहा में हुई बर्बरता का सबसे ज्यादा शिकार चमोली और रुद्रप्रयाग के आंदोलनकारी हुए थे। क्योंकि, काफिले में सबसे आगे इन्हीं दो जिलों के वाहन चल रहे थे। यहां हुए पुलिसिया दमन की दास्तां आज भी आंदोलनकारियों के जेहन में ताजा होते ही उनकी आंखें भर आती हैं।

हाई-वे से रोप-वे तक, आचारसंहिता लगने से पहले मंत्रियों ने आधी रात ताबड़तोड़ मंजूर किए कई प्रोजेक्ट्स

नईदिल्ली, एजेंसी। अमूमन जब आचार संहिता लागू होती है, तब कोई भी विभाग नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देती है। अगर कुछ जरूरी होता है तो चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद उसे हरी झंडी दी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीती रात केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कई विभागों ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों और एनएचएआई में शुक्रवार की देर रात तक कामकाज होता रहा। इस दौरान मंत्री गडकरी ने 1700 करोड़ रुपये की तीन हाई-वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये हाई-वे प्रोजेक्ट गुजरात, असम और कर्नाटक के लिए हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक 189 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रोप-वे को भी मंजूरी दी गई है।

पुराना गढ़ वापस पाने की कवायद में कांग्रेस भाजपा के सुरेश कश्यप से होगी टक्कर

शिमला, एजेंसी। कांग्रेस की परंपरागत गढ़ रही शिमला लोकसभा सीट (आरक्षित) पर भाजपा ने मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को फिर चुनाव मैदान में उतारा है। सुरेश कश्यप दूसरी बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। सिरमौर जिला से ताल्लुक रखने वाले सुरेश कश्यप को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। वह सिरमौर की पच्छाद सीट से दो बार भाजपा के विधायक भी रहे हैं। शिमला लोकसभा सीट पर पिछले एक दशक से भाजपा का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस कद्दावर और दमदार उम्मीदवार को टिकट देने के लिए मंथन कर रही है।

भाजपा के प्रभावशाली उम्मीदवार सुरेश कश्यप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को खोजने में जुटी है। कांग्रेस मंथन कर रही है कि सुरेश कश्यप को घेरने के लिए सिरमौर से ही उम्मीदवार उतारा जाए। कांग्रेस के कद्दावर मंत्री और पूर्व सांसद धनीराम शांडिल और विधायक बिनोद सुल्तानपुरी इस सीट पर कांग्रेस की पहली पसन्द है। लेकिन विधानसभा में नंबर गेम के चलते कांग्रेस सिटिंग विधायक को चुनाव लड़ाने से बच रही है। ऐसा इसलिए कि छह कांग्रेस विधायकों के निष्कासन के कारण विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 रह गई है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि किसी विधायक को चुनाव में झोंका जाए। कांग्रेस पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दयाल प्यारी, पूर्व विधायक सोहन लाल, जिला परिषद सदस्य कुशल मूँगता और अमित नन्दा के नामों पर विचार विमर्श चल रहा है। यदि कांग्रेस दयाल प्यारी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप व दयाल प्यारी एक ही विधानसभा क्षेत्र पच्छाद से ताल्लुक रखते हैं।

16 नेता मांग रहे टिकट, हाईकमान कर रहा मंथन : शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांगने वालों की होड़ लगी है। कांग्रेस का टिकट लेने के लिए 16 नेताओं ने आवेदन किया है। जिस पर हाईकमान मंथन कर रहा है। शिमला ग्रामीण से पूर्व विधायक सोहन लाल, ठियोग से सुरिंद्र सिंह बनोलटा, चौपाल से यशपाल तनाईक, ठियोग से मोहन लाल बनोलटा, मशोबरा से डॉ. अश्वनी कुमार, कोटखाई से मेघराज धांगटा, नाहन से गुरदयाल सिंह पंवर, बद्दी से एडवोकेट राम कुमार, शिमला ग्रामीण से धर्मिला हरनोट, पच्छाद से डॉ. पंकज मुसाफिर, जुब्बल से कौशल मुंगटा, रोहडू से सोहन लाल जिलटा, पझौता राजगढ़ से बीरेंद्र जालटा, ठियोग से बुद्धि राम जस्टा, शिमला से अमित नंदा और चौपाल से प्रेम डोगरा ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया है।

सुक्खू सरकार के पांच मंत्रियों की होगी अग्निपरीक्षा : शिमला लोकसभा सीट पर सुक्खू सरकार के पांच मंत्रियों की अग्निपरीक्षा होगी। मंत्रियों पर अपने-अपने चुनावी हलकों में कांग्रेस उम्मीदवार को लीड दिलाने का दवाब रहेगा। 14 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में 13 में कांग्रेस को जीत मिली है। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा के तीन विधायक हैं। वहीं एक ने निर्दलीय चुनाव जीता था। निर्दलीय विधायक के एल ठाकुर ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के हक में वोट किया था।

यही नहीं, शिमला संसदीय क्षेत्र से सुक्खू सरकार में पांच मंत्री हैं, जबकि एक डिप्टी स्पीकर है। साथ ही दो मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। पांच में से दो मंत्री हर्षवर्धन चौहान व विक्रमादित्य तेजतर्रार हैं। अन्य मंत्रियों में धनीराम शांडिल, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह हैं। इसके अलावा मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और राम कुमार को भी अपने हलकों में कांग्रेस को बढ़त दिलवाने की चुनौती होगी। शिमला लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण आरक्षित शिमला संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति का बोलबाला है। संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 26.51 फीसदी हिस्सा अनुसूचित जाति से संबंधित है। सिरमौर जिले के बड़े इलाके में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सोलन में 28.35 फीसदी अनुसूचित जाति, जबकि 4.42 फीसदी लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। सिरमौर में 30.34 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं।

वन नेशन-वन इलैक्शन से संसाधन और रूपए की बचत होगी : अनिल विज

अंबाला, एजेंसी। पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज वन नेशन-वन इलैक्शन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के संसाधनों और रूपए की बचत होगी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस कदम के लिए स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने दिल से वन नेशन-वन इलैक्शन का स्वागत करते हैं। विज आज मीडिया कर्मियों के द्वारा 'वन नेशन-वन इलैक्शन' के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'वन नेशन-वन इलैक्शन' को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी दी है। 'वन नेशन-वन इलैक्शन' को लेकर इस रिपोर्ट के लिए गत सिंतबर, 2023 को समिति का गठन किया था जिसने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने के उपरांत रिपोर्ट सौंप दी है। विज ने 'वन नेशन-वन इलैक्शन' के संबंध में कहा कि ये बहुत ही बडी दिक्कत थी, जिससे देश को निजात दिलाना बहुत ही जरूरी था। सारा साल चुनाव होते रहते हैं। कभी कोई होता रहता है और कभी कोई होता है। आचार संहिता लग जाती है और कई-कई महीने काम नहीं हो पाते हैं और खर्चा भी बहुत होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में बनी कमेटी ने काफी एक्सरसाईज करके ये एक फार्मूला बनाया है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है कि वन नेशन-वन इलैक्शन और एक ही वोटर लिस्ट। उन्होंने भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के संबंध में कहा कि हमारे देश में आसपास के देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आने वालों (अल्पसंख्यक शरणार्थियों) को सरकार ने जीने का अधिकार दिया है क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं था, अब सरकार ने उनको अपने बच्चों के पालन-पोषण करने और नौकरी करने का अधिकार दिया है।

कोई अच्छा काम करो, केजरीवाल तकलीफ होती है: विज ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि वे बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय बात कर रहे है जो वे सीएए पर अटैक कर रहे है। उन्होंने कहा कि ''कोई भी अच्छा काम करों, केजरीवाल तकलीफ होती हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से समझाते हुए कहा कि ''जिस चीज पर यह (केजरीवाल) प्रतिक्रिया दें तो वे समझते हैं कि अच्छा काम हो रहा हैं क्योंकि यह उनका बैरोमीटर है।

मोदी आम जनमानस की नब्ज को पहचानते है: गत दिवस सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में दो रुपए की कटौती करने का फैसला लिया गया जिसके बाद लोगों को राहत मिली हैं।

छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी की छुट्टी, साय? सरकार ने जारी किया आदेश, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और बैंक

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आने वाले रामनवमी पर्व के दिन प्रदेश में अवकाश की घोषणा कर दी है। जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने चैतीचांद पर्व के दिन भी छुट्टी कर दी है। इस आदेश को राज्य सरकार की अपर सचिव अंशिका ऋषि पांडे के आदेश पर सार्वजनिक किया गया है। इसके साथ ही यह आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सामान प्रशासन विभाग ने भेज दिया है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक की छुट्टी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए छुट्टी की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार के द्वारा रामनवमी के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ ही 9 अप्रैल साल 2024 दिन मंगलवार को चैतीचांद महोत्सव के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर या फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार प्रदेश में इस दिन बैंक, स्कूल कॉलेज, और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बतादे कि बैंक कर्मचारी संगठन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखते हुए रामनवमी के दिन शासकीय अवकाश की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

उद्धव गुट के साथ गठबंधन का सवाल नहीं, राज ठाकरे से परहेज नहीं -देवेंद्र फडणवीस

नई दिल्ली/मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना-उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हालाँकि उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से इनकार नहीं किया।

एक इंटरव्यू में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं, वे 20 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ने किए। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की तरह काम किया, उद्धव ने रोका।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा-शिंदे नीत शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) गठबंधन के बीच राज्य की 80 प्रतिशत सीटों के लिए सहमति बन गई है। इस बार भाजपा सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं लोक सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में फडणवीस ने स्पष्ट किया कि चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना पर भाजपा नेता ने कहा कि उनसे बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन गठबंधन से इनकार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी सीएम की कुर्सी पर दावा नहीं करेगी। चुनाव के बाद हालत देखकर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एमवीए गठबंधन से जो आना चाहें उनका स्वागत है।शिंदे सरकार के विकास कार्यों के बारे में डिप्टी सीएम ने कहा कि धारावी में 2011 के बाद बसे ऐसे लोगों को भी सरकार घर देगी जो पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रेस कोर्स की कुछ जमीन पर देश का सबसे बड़ा सेंट्रल ग्रीन पार्क बनेगा जो 300 एकड़ में होगा। मुंबई-एमएमआर क्षेत्र में 375 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन रहा है।चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी से इनकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसाब इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा सरकार लेकर आई थी।

भाजपा की कोशिश चुनाव में काला धन रोकने की थी।फडणवीस ने कहा कि भाजपा ईडी नहीं काम के भरोसे राजनीति करती है। गरीब जानता है कि मोदी ही उनका भला कर सकता है। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है। राज्य के हर तबके पर मोदी का असर है।उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। चुनावी गणित नहीं चुनावी केमिस्ट्री काम करेगी और सारे चुनावी पंडित इस बार गलत साबित होंगे।मराठा आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि ढाई करोड़ परिवारों का सर्वे हो गया है। उम्मीद है कि कोर्ट मराठा आरक्षण मंजूर करेगा।

जीन्स-टीशर्ट पहन स्कूल न आएं टीचर्स, महाराष्ट्र में लागू हुआ ड्रेस कोड; अध्यापकों में नाराजगी

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके तहत अब उन्हें साड़ी, सलवार और शर्ट-पैंट में ही स्कूल आना होगा। जीन्स और टी-शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला पूरे महाराष्ट्र में छात्रों के बीच अध्यापकों की इमेज को बेहतर करने के लिए किया गया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इसे सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। 15 मार्च को जारी हुए दिशा-निर्देश के मुताबिक महिला अध्यापक साड़ी, सलवार या चूड़ीदार और कुर्ता पहन सकती हैं। वहीं, पुरुष अध्यापकों को शर्ट और ट्राउजर पहनना होगा। इसमें भी ग्राफिक डिजाइन वाले शर्ट्स पहनने पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं, अध्यापकों के बीच इस फैसले को लेकर नाखुशी है।

गरिमा का हवाला : शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस पहल के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री के मुताबिक अब से प्रदेश के सभी शिक्षकों को डॉक्टरों की तर्ज पर टीआर टाइटल दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य टीचर्स के बीच प्रोफेशनलिज्म का भाव लाना है। साथ ही टीचिंग से जुड़ी आस्था की भावना को बनाए रखना है। सर्कुलर के मुताबिक अध्यापकों को भविष्य निर्माता माना जाता है। समाज में उनकी छवि गुरु की है। यह वर्ग छात्रों के एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके कपड़े भी इसी गरिमा के अनुरूप होने चाहिए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूल अपने हिसाब से भी टीचर्स के लिए ड्रेस कोड चुन सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि शर्ट का कलर लाइट और ट्राउजर का कलर डार्क होना चाहिए। इस बीच अध्यापक वर्ग में इस फैसले को लेकर नाराजगी है। टीचर एक्टिविस्ट भाऊ साहेब चास्कर ने कहा कि अध्यापकों को विशेष रंग यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना तर्कसंगत नहीं है। इस तरह का परिवर्तन करके सरकार हासिल क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ जिला परिषद भी ऐसे फैसले ले चुकी हैं। जब टीचर्स यूनियन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी तो फैसला टिक नहीं पाया। एक टीचर्स यूनियन, शिक्षक परिषद के मुंबई ऑफिस के कार्यकर्ता शिवनाथ दरादे ने सवाल उठाया कि क्या सरकार लोगों को यूनिफॉर्म की धुलाई के लिए वॉशिंग मशीन अलाउंस देने वाली है।

राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समापन रैली में उद्धव, पवार, अखिलेश समेत कई नेता होंगे शामिल

मुंबई, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि स्टालिन, अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे। वडेट्टीवार ने कहा, शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली का खर्च हमारे चुनाव खर्च में दिखाया जाएगा। राहुल गांधी गांधी की यात्रा शनिवार दोपहर मुंबई पहुंचेगी। यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र के पालघर जिले में है।

जिनकी आबादी 88 प्रतिशत, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बहुत ही कम : वहीं, राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत की 88 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों से है लेकिन प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बहुत कम है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सत्ता और संपत्ति को वह लोग नियंत्रित कर रहे हैं जिनकी कुल आबादी छह प्रतिशत है। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना से किसानों को नहीं, बल्कि निजी बीमा कंपनियों को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि जब बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होता है।

अयोग्य हो जाएंगे हिमाचल में भाजपा के 9 विधायक? मिला नोटिस

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नौ विधायकों को शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 9 विधायकों पर अयोग्यता का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक गतिरोध जारी है और निकट भविष्य में इसके सुलझने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने सदन के कामकाज पर नियम 79 के तहत स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हाल के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और अध्यक्ष के चेंबर में कथित तौर पर हिंसा और अनुशासनहीनता में शामिल होने के लिए भाजपा के नौ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव ने कहा कि शिकायत के आधार पर नौ भाजपा विधायकों - ऊना से सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलह से विपिन परमार, त्रिलोक जम्वाल, बिलासपुर, बल्ह से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नौ भाजपा विधायकों को 18 मार्च तक लिखित रूप में या अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि अगर नौ भाजपा विधायकों ने जवाब नहीं दिया तो अध्यक्ष उन्हें निलंबित कर सकते हैं या अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सोलंकी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि इन भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर और अध्यक्ष के कक्ष में भी हंगामा किया था, विधानसभा कर्मचारियों से महत्वपूर्ण कागजात छीने और उन्हें सदन में फाड़ा दिया। जब आंदोलनकारी विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश जारी किया गया तो उन्होंने मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की भी की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की वीडियो क्लिपिंग विधानसभा रिकॉर्ड में भी उपलब्ध है और विधायकों का व्यवहार अक्षम्य है। इस मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन विधायकों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत सदन की अवमानना ?के तहत कार्यवाही की जाए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पहले ही इसे बदले की राजनीति की कार्रवाई करार दे चुके हैं और कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो उनकी पार्टी इस मामले में कानूनी विकल्प तलाशेगी। पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हुए वित्तीय विधेयकों को पारित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने के कारण छह कांग्रेस विधायकों को अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस के इन छह विधायक और तीन निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन छह कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।